ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

ख्या : 60/2012

1. रमेशचन्द्र पुत्र
2. ओम प्रकाश पुत्र
3. महेन्द्र पुत्र
4. पुष्पलता पुत्री
5. कान्हि बाई

भैरूलाल जाति मेहर निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रामेश्वर पुत्र हीरालाल
2. मोहनी पुत्री हीरालाल
3. गंगा पुत्री हीरालाल
4. नटी पुत्री हीरालाल
5. चमेली पुत्री हीरालाल
6. सुशीला पुत्री हीरालाल
7. नन्दकिशोर पुत्र मूलचन्द
8. रामकिशन पुत्र गोविन्दलाल

जातिगण मेहर निवासी मांगरोल जिला बारां

9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी.एक्ट.</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अमित कुमार गौड
दायरा दिनांकः 05.05.2012

निर्णय दिनांक : 26.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

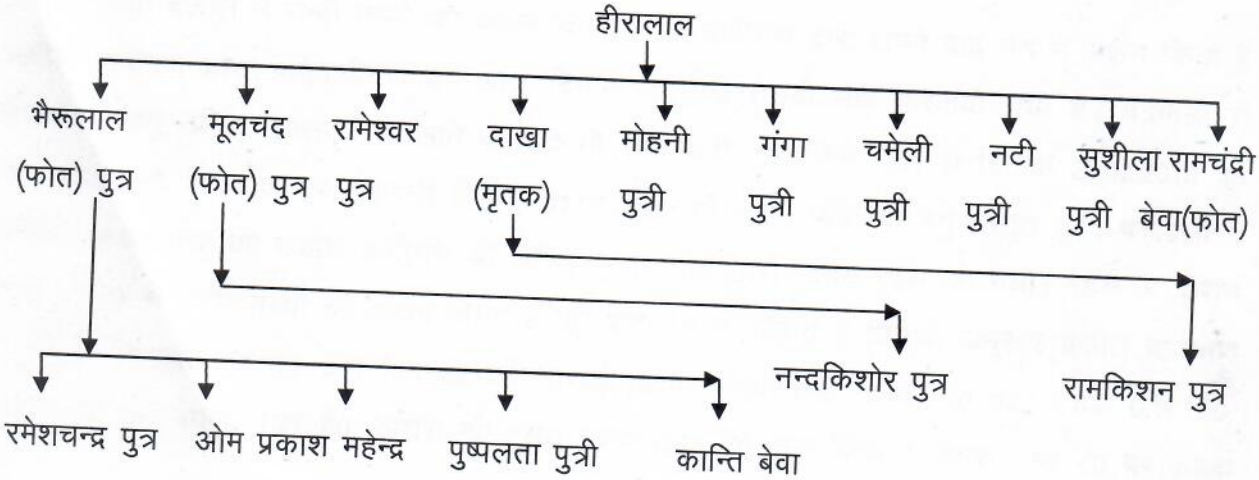

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

आराजी संख्या 2065 से 2068 में खाता संख्या 696 खसरा नं0 322 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 324 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 2769 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां में दर्ज हो रही है। उक्त वर्णित आराजी के साबिक खसरा नं0 148 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 150 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1832 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो रही है। उक्त आराजी वादीगण के दादाजी श्री हीरालाल ने 40–50 वर्ष पूर्व सम्पूर्ण आराजी वादीगण के पिता भैरूलाल को दे दी थी तब से उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता काश्त करते रहे उनके बाद वादीगण काश्त कर रहे है। उक्त वर्णित आराजी का कब्जा 35–40 वर्षो से वादीगण का रहा है। और आज भी वादीगण ही काश्त कर रहे है। वादीगण के कब्जे काश्त में आज तक किसी ने दखलअंदाजी नही की न ही 35–40 वर्षो में किसी ने भी कब्जे काश्त को लेकर चुनौती दी है। वादीगण के पिता भैरूलाल ने उपरोक्त वर्णित आराजी को दिनांक 10.07.1975 में अपनी घरेलू जरूरत व कर्ज अदायगी वास्ते 2500/– रू0 में जगन्नाथ आत्मज श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी मांगरोल के रहन रख दिया था जिसको बाद में वादीगण द्वारा ही रहनमुक्त करवया गया था। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर सन् 1975 में वादीगण के पिता का ही कब्जा था। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजी खाते से प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 का नाम हटाकर सम्पूर्ण खाता वादीगण के नाम दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.05.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 आदिनांक तक अनुपस्थित बावजूद सूचना प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को दिनांक 26.04.2018 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी वकील ने उन्ही तथ्यो को कथन किया है जो वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया है वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की आज दिनांक तक भी तलबी नही करवायी गयी है। पत्रावली में साक्ष्यवादी हेतु उचित अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्यवादी नही किये जाने से दिनांक 25.02.2016 को साक्ष्यवादी बन्द किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.07.2016 को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रस्तुत हुई। पत्रावली में दिनांक 26.04.2018 को वकील वादीगण श्री अमित कुमार गौड द्वारा अंतिम बहस की गयी। बहस के दौरान वादी वकील ने उन्ही तथ्यो को कथन किया है जो वाद पत्र में अंकित है जिसके अनुसार वकील वादीगण ने बताया कि वादीगण का ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या 696 खसरा नं0 322 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 324 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 2769 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 रकबा 1.50 है0 पर कब्जा

वर्षों से निर्बाध रूप से चला आ रहा है एवं एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर आराजी प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 8 तक का नाम हजफ करते हुए उक्त आराजी के वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन अध्ययन व मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं प्रदर्शो के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादित आराजी पर वादीगण अपने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। इस संबंध में माननीय उच्च्तम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964 / जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार

नहीं कर सकते—नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है—केवल प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर एवं सहखातेदार प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 8 का नाम हजफ करते हुए सीधे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को सरेदरबार मजमेंआम में सुनाया गया।